Ref. No. CGTMSE /   11 अप्रैल April 11, 2023

क्रेडिट गारंटी योजना - I और II

सीजीटीएमएसई की सभी सदस्य ऋणदात्री संस्थाएँ (एमएलआई)।Credit Guarantee Scheme - I & II

All Member Lending Institutions (MLIs) of CGTMSE

<u>परिपत्र संख्या 225/2023-24</u>

<u>Circular No.225/2023-24</u>

महोदया/ प्रिय महोदय Madam / Dear Sir,

"पश्चिम बंगाल भविष्य क्रेडिट कार्ड योजना (डब्ल्यूबीबीसीसीएस)" के लिए ऋण गारंटी योजना **Credit Guarantee Scheme for**
<u>"West Bengal Bhavishyat Credit Card Scheme (WBBCCS)"</u>

हमें यह बताते हुए खुशी हो रही है कि सीजीटीएमएसई ने एक विशेष क्रेडिट गारंटी योजना शुरू करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार के साथ सहयोग किया है। तदनुसार, पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित एमएसई के लिए पश्चिम बंगाल भविष्यत क्रेडिट कार्ड योजना (डब्ल्यूबीबीसीसीएस) के लिए एक विशेष क्रेडिट गारंटी योजना शुरू की गई है। तंत्र के अनुसार योजना के तहत कवर की गई क्रेडिट सुविधा को 100% गारंटी कवरेज प्रदान किया जाएगा। योजना के तहत, संबंधित एमएलआई के दावों को क्रिस्टलीकृत पोर्टफोलियो के अधिकतम 15% एनपीए स्तर तक निपटाया जाएगा (पोर्टफोलियो को हर वित्तीय वर्ष में क्रिस्टलीकृत किया जाएगा)। हालाँकि, 15% से ऊपर एनपीए स्तर के संबंध में प्राप्त दावों का निपटान सीजीटीएमएसई की सामान्य क्रेडिट गारंटी योजना के तहत किया जाएगा।

We are pleased to inform that CGTMSE has collaborated with the Government of West Bengal for introducing a Special Credit Guarantee Scheme. Accordingly, a Special Credit Guarantee Scheme for West Bengal Bhavishyat Credit Card Scheme (WBBCCS) has been launched for the MSEs situated in the State of West Bengal. As per the mechanism the credit facility covered under the Scheme will be provided 100% guarantee coverage. Under the Scheme, claims of the respective MLI will be settled maximum upto 15% NPA level of crystallized portfolio (portfolio will be crystallized every FY). However, claims received in respect of NPA level above 15% will be settled under the normal Credit Guarantee Scheme of CGTMSE.

यह योजना 01 अप्रैल, 2023 से प्रभावी है, और 5 साल तक या पश्चिम बंगाल राज्य सरकार द्वारा तय किए गए अनुसार लागू रहेगी। सभी मौजूदा एमएलआई इस योजना के तहत पात्र होंगे। 100% गारंटी कवरेज के अलावा, क्रेडिट गारंटी योजनाओं के अन्य सभी नियम और शर्तें (बैंकों के लिए सीजीएस - I और एनबीएफसी के लिए सीजीएस - II) इस योजना के तहत, यथास्थिति, आवश्यक परिवर्तनों के साथ लागू होंगी। पश्चिम बंगाल भविष्य क्रेडिट कार्ड योजना (डब्ल्यूबीबीसीसीएस) अनुबंध I में दी गई है।The Scheme is effective from April 01, 2023, and will remain in force for up to 5 years or as may be decided by the State

Government of West Bengal. All the existing MLIs shall be eligible under the Scheme. Apart from 100% guarantee coverage all other terms and conditions of the Credit Guarantee Schemes (CGS – I for banks and CGS – II for NBFCs) shall be applicable, mutatis mutandis, as the case may be, under this Scheme. The West Bengal Bhavishyat Credit Card Scheme (WBBCCS) is given at **Annexure I**.

यह पहल पश्चिम बंगाल राज्य में एमएसई को वित्तीय सहायता की जरूरतों को पूरा करने में सहायता करेगी। हम इस योजना को लोकप्रिय बनाने और यह सुनिश्चित करने के लिए आपकी सहायता चाहते हैं ताकि योजना का लाभ उचित रूप से प्राप्त हो।This initiative will support meeting the needs of financial assistance to the MSEs in the State of West Bengal. We look forward to you, for popularizing the Scheme & ensuring that the benefit of the Scheme is properly actualised.

कृपया इस परिपत्र की विषय-वस्तु को पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित अपने सभी कार्यालयों के ध्यान में लायें।

The contents of this circular may please be brought to the notice of all your offices located in the State of West Bengal.

भवदीय Yours faithfully,

ह/Sd/-

(धीरज कुमार Dhiraj Kumar)
सहायक महाप्रबंधक Asst General Manager

संलग्नक : यथोपरि Encl: As above